समाहरणालय,गढ़वा

(पंचायत शाखा)

dprogarhwa84@gmail.com

—: संशोधित प्रेस विज्ञप्ति :—

विज्ञापन सं0 — 01/2019

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या — 1072 दिनांक — 25.03.2017 के द्वारा 14 वें वित्त आयोग के अर्न्तगत संविदा आधारित कनीय अभियंता तथा लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में पूर्व **प्रेस विज्ञप्ति संख्या — 1019/पं0, दिनांक — 31.08.2017** के द्वारा लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर के कुल — 21 रिक्त पदों पर बहाली हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें स्थानीयता निति अधिसूचना संख्या — 5938 दिनांक — 14.07.2016 को आधार माना गया था, परन्तु 13वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने के कारण एवं वर्तमान में स्थानीयता निति के संकल्प संख्या — 3854 दिनांक — 01.06.2018 के आलोक में पूर्व के **प्रेस विज्ञप्ति संख्या — 1019/पं0, दिनांक — 31.08.2017** को रद्द करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयोपरान्त एवं सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक — 41 दिनांक — 04.01.2019 के निदेशानुसार वर्तमान में कुल — 30 लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है जिसकी विवरणी निम्नवत है :—

अतः पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(रिक्ति की विवरणी (कोटिवार) निम्नवतः है)

कम सं0	पद का नाम	प्रखण्डों की संख्या	नियुक्ति हेतु शेष रिक्ति की संख्या						अभ्युक्ति
			SC	ST	OBC		GEN.	कुल	
					BC-1	BC-2			
1	लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर	20	11	09	02	01	07	**30**	

उपरोक्त पद पर नियुक्ति उपायुक्त, गढ़वा के द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

—: शैक्षणिक योग्यता :—

1. अनिवार्य योग्यता :— पद के लिए अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से न्युनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ बी0कॉम0/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2. वांछनीय योग्यता एवं अनुभव :— संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. उम्र सीमा :— उम्र सीमा निम्नवत होगी :—

i. सामान्य वर्ग — 35 वर्ष
ii. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग — 37 वर्ष
iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति — 40 वर्ष

—: आवेदन समर्पित करने की प्रकिया :—

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से करना होगा।

कमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	
1	2	3	4
1	लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर	सामान्य श्रेणी	500
		अनुसूचित जाति एवं जनतजाति	300

उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिले के योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी **दिनांक – 24.01.2019 से 12.02.2019** तक पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार अपना अभ्यावेदन (ड्राफ्ट सहित) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से (निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट के साथ) जिला पंचायत राज कार्यालय, गढ़वा में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी एवं तदर्थ रहेगी। नियुक्ति पदाधिकारी अल्प सूचना के आधार पर कभी भी संविदा कर्मी को सेवा से हटा सकने के लिए सक्षम होंगे। उक्त संबंधित विशेष जानकारी **विभागीय अधिसूचना संख्या – 80 दिनांक – 28.04.2016** के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्र समर्पित करने की प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त निर्धारित है, जो जिले के वेबसाईट http://www.garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है।

आवेदन के साथ पद के अनुरूप **शुल्क का भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा, जो उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से भुगतेय होगा।** निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। 13वें वित्त आयोग के अवधि में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर यदि अन्य शर्तें पूरा करते हैं, तो समान अंक लाने वाले अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकता दी जायेगी।

22/1/19

उपायुक्त,
गढ़वा।

ज्ञापांक 24 / पं0 दिनांक 22/1/19

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं सभी सामाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, NIC गढ़वा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

22/1/19

उपायुक्त,
गढ़वा।